भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1282

(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पश्चिम बंगाल

1282. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को आवंटित और जारी की गई कुल धनराशि कितनी है;

(ख) इन निधियों से कुल कितने गांवों को सड़क संपर्क प्रदान किया गया है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के लिए पीएमजीएसवाई की कुछ धनराशि सरकार द्वारा जारी नहीं की जा सकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत केंद्रीय निधियां राज्य सरकारों को जारी की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा जिला और उप-जिला स्तर पर निधियां जारी की जाती है। पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जारी की जाती है , और यह अन्य बातों के साथ-साथ ,

मौजूदा कार्यों, राज्य की निष्पादन क्षमता , राज्य के पास उपलब्ध अप्रयुक्त निधि और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुपालन पर निर्भर करता है।

पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (28.11.2024 तक) के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को कुल 1847.805 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए पीएमजीएसवाई कार्यक्रम निधि की पहली किस्त जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राज्य से अनुरोध किया गया है कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पीएमजीएसवाई III कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 19.11 (vi) के अनुसार पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए रखरखाव निधि खाते में 2024-25 के दौरान 124.36 करोड़ रुपये की कुल देयता जमा की जाए।

पीएमजीएसवाई के लिए इकाई बसावट है , न कि राजस्व गांव या पंचायत। पीएमजीएसवाई- I के तहत, कोर नेटवर्क में (मैदानी क्षेत्रों में 500+ और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों में 250+) आबादी वाली संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क सपर्कता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। शुरुआत से लेकर अब तक राज्य में पीएमजीएसवाई -I के अंतर्गत कुल 13,087 बसावटों को संड़क संपर्कता प्रदान की गई है।

(ड.) से (च): पश्चिम बंगाल राज्य को पीएमजीएसवाई- I और II के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। पश्चिम बंगाल राज्य को पीएमजीएसवाई- III के अंतर्गत 6,287.50 किलोमीटर लंबी सड़क का लक्ष्य आवंटित किया गया है , जिसमें से ग्रामीण संपर्कता को मजबूत करने और राज्य में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 4236.62 किलोमीटर लंबी सड़क की मंजूरी दी गई है। शेष 2026.52 किलोमीटर सड़क लंबाई की मंजूरी के लिए राज्य से अंतिम अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए अधिकार प्राप्त समिति को अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी पर विचार किया जाता है।

*****